न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 88/2021

1 इन्द्राज पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी धत्तरवाला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जीवणी पत्नी नन्दलाल।
2 सुनिता पुत्री नन्दलाल।
3 सुमन पुत्री नन्दलाल।
4 मनिता पुत्री नन्दलाल।
5 सुरेन्द्र पुत्र नन्दलाल समस्त जाति जाट निवासीगण धत्तरवाला तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी इन्द्राज बनाम जीवणी अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 34/2017 निर्णय दिनांक 26.08.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 1.72 हैक्टेयर स्थित ग्राम धत्तरवाला में आने—जाने व आवागमन करने व पशु व वाहन जाने व ले जाने का कदीमी 15 फीट चौड़ा रास्ता जो ग्राम धत्तरवाला से ग्राम बुडानियां जाने वाली सड़क से अनावेदकगण नं. 01 लगायत 05 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 2.07 हैक्टेयर में से होकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 1.72 हैक्टेयर में आता है उसको राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता घोषित करने का आदेश फरमाया जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने भू—अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट की व्याख्या गलत की है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांकित 19.06.2019 के क्रम में विचारण न्यायालय को अपीलान्ट के हक में उक्त फर्द में दर्शित बिन्दु सी से डी स्थान से 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करना चाहिये था। अपीलान्ट खेत खसरा नम्बर 491 सरहद मौजा धत्तरवाला में से आता जाता रहा है और मौजुदा रास्ता को चौड़ा कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया था। अपीलान्ट की गांव की आबाद उसकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 489 के पूर्व दिशा में है। ऐसी सुरत में अपीलान्ट का अपने खेत में आने जाने का रास्ता खेत खसरा नम्बर 491 में से ही रहा है। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 69 से 71 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट ने कोई नया रास्ता क्लेम नहीं किया था बल्कि मौजुदा प्रचलित रास्ते को क्लेम किया है। ऐसी सुरत में निकटतम दुरी के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955 को स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट की सहखातेदारी की खेत खसरा नम्बर 491 में से तहसीलदार (भू–अभिलेख) चिड़ावा जिला झुन्झुनू की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2021 में उल्लेखित सी से डी स्थान से 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 489 रकबा 1.72 हैक्टेयर में जाने हेतु आवेदक द्वारा भूमि खेत खसरा नम्बर 491 रकबा 2.07 हैक्टेयर से मांग की है जो तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए सी बी प्रस्तावित रास्ते की दूरी 155 मीटर एवं मार्क सी से डी की दूरी 140 मीटर दर्शाई गई है। आवेदक के खेत खसरा नम्बर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 490 से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 489 की दूरी 77 मीटर है जो सबसे निकटतम दुरी है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार काश्तकार को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता ही दिया जाना है। किसी भी खातेदार काश्तकार को नया रास्ता नित्यान्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आवश्यकता होने पर ही दिया जाना है। उसकी सुविधा के अनुसार नया मार्ग कायम नहीं किया जावेगा। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का है। विचारण न्यायालय ने निकटतम दूरी के रास्ते को पुनः आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपीलांट को छुट प्रदान की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक के खेत खसरा नम्बर 489 रकबा 1.72 हैक्टेयर में जाने हेतु आवेदक द्वारा भूमि खेत खसरा नम्बर 491 रकबा 2.07 हैक्टेयर से मांग की है जो तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए सी बी प्रस्तावित रास्ते की दूरी 155 मीटर एवं मार्क सी से डी की दूरी 140 मीटर दर्शाई गई है। आवेदक के खेत खसरा नम्बर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 490 से आवेदक के खेत खसरा नम्बर 489 की दूरी 77 मीटर है जो सबसे निकटतम दुरी है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार काश्तकार को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता ही दिया जाना है। किसी भी खातेदार काश्तकार को नया रास्ता नित्यान्त आवश्यकता होने पर ही दिया जाना है। उसकी सुविधा के अनुसार नया मार्ग कायम नहीं किया जावेगा। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता अधिक दूरी का है। विचारण न्यायालय ने निकटतम दूरी के रास्ते को पुनः आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अपीलांट को छुट प्रदान की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर